



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल. सं. NCST/DEV-167/MP/3/2021-ESDW

दिनांक: 27.03.2023

श्री पुनीत टंडन,
9-A/406, साकेत नगर,
भोपाल -462024,
मध्य प्रदेश


विषय आदिवासी हितग्राहियों की फर्जी सूची बनाकर राशि गबन/भ्रष्टाचार/घोटाले के दोषियों पर एफ.आई.आर दर्ज कराने के सम्बन्ध में श्री पुनीत टंडन, साकेत नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश का दिनांक 15.12.2021 का अभ्यावेदन।

महोदय,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक जी ने आपके मामलों में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ **दिनांक 10.04.2023 को 12:00 बजे**, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में सुनवाई/सिटिंग तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से समन जारी कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय,


(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी